

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 जनवरी, 2010 ई0 पौष 17, 1931 शक सम्वत्

#### उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 24/XXXVI(3)/2010/41(1)/2009 देहरादून, 07 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विविध

"मारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड कर्जा विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2009' पर दिनांक 07 जनवरी, 2010 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2010 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2010)

उत्तराखण्ड कर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य के विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :--

- (1) इस अघिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि (संशोधन) संक्षिप्त शीर्षक, अधिनियम, 2009 है।
  - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन -- -2. (1) उत्तराखण्ड ऊर्जा विकास निधि अधिनियम, 2003 मैं धारा 7 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :-

> "(3) राज्य सैक्टर में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, विद्युत निकासी तंत्र के निर्माण तथा विद्युत पारेषण तंत्र के विकास के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं के लिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी।"

> > आज्ञा से, राम दत्त पालीवाल, सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Power Development Fund (Amendment) Bill, 2009 (Adhiniyam Sankhya 13 of 2010) :--

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 January, 2010.

No. 24/XXXVI(3)/2010/41(1)/2009 Dated Dehradun, January 07, 2010

#### **NOTIFICATION**

#### Miscellaneous

THE UTTARKHAND POWER DEVELOPMENT FUND (AMENDMENT) ACT, 2009

(UTTARAKHAND ACT No. 13 OF 2010)

Further to amend The Uttarakhand Power Development Fund Act, 2003

AN

Act

Be it enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India by the State Legistature of Uttarakhand, as follows:--

Short Title, Extent and Commencement

- (1) This Act may be callled The Uttarakhand Power Development Fund (Amendment) Act, 2009.
  - (2) It shall come into force at once.

Amendment of sub-section (3) of section 7 of the Principal Act

- In place of sub-section (3) of section 7 of the Uttarakand Power Development Fund Act, 2003 the following sub-section shall be substituted; namely:--
  - "(3) For any other schemes/projects directly or indirectly cooperating in the development of Hydro Power Projects, construction of power evacuation system and development of power transmission system in State sector as determined by the Government."

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) ४ विघायी / 31-2010-100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।